समाहरणालय, मधुबनी

(जिला योजना कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 5043, दिनांक 07.09.2016 के आलोक में मधुबनी, प्रखण्ड रहिका ग्राम मिठौली में नवनिर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, मधुबनी के भवन की साफ–सफाई बाहय स्त्रोत से कराने के निमित्त इच्छुक संस्थाओं/फर्मों के माध्यम से सेवायें प्राप्त करने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 23.11.16 .... को अपराह्ण 01:00 बजे तक इच्छुक संस्थाओं/फर्मो से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक : 23.11.16 .... को अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा। जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। www.prdbihar.gov.in and www.madhubani.bih.nic.in पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में प्राप्त किया जायेगा।

निविदा की शर्तो :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड लिफाफे में प्राप्त किया जायेगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है :–

(i) त्कनीकी निविदा में 20000–/ (बीस हजार) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो संलग्न रहना चाहिए।

(ii) संस्था/फार्म के निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(iii) आयकर निबंधन एवं वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(iv) सरकारी/निजी संस्थानों में विज्ञपित सेवाएँ संबंधी कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।

(v) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामले में मुकदमा लम्बित नहीं होने एवं किसी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नही रखने का शपथ पत्र।

3. तकनिकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. वित्तीय निविदा में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के आंतरिक एवं बाहरी परिसर के संपूर्ण सफाई तथा रख रखाव की व्यवस्था के लिए संस्था को प्रति वर्गमीटर अथवा आंतरिक एवं बाह्य परिसर के सफाई हेतु एक मासिक एक मुस्त राशि की दर से प्रतिमाह के लिए दर अंकित करना होगा। केन्द्र के शौचालय, पानी टंकी, उपस्कर आदि की साफ–सफाई हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. केंद्र की सफाई प्रतिदिन करने हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी एवं सफाई सामग्रीयों की व्यवस्था संस्था द्वारा स्वयं की जायेगी। किसी कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर अन्य सुरक्षित कर्मी की व्यवस्था तुरंत करनी होगी।
6. सफाईकर्मी के ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किये जाने में व्यय राशि संस्था को स्वयं वहन करना होगा।

7. केन्द्र के आंतरिक भाग एवं शौचालय की सफाई एक से अधिक वार कराई जा सकती है फलस्वरूप कार्यालय अवधि में कुछ सुरक्षित कर्मी का होना अनिवार्य रहेगा। इस हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. संस्था को किसी प्रकार के परिवहन व्यय एवं अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. विपत्र में आवश्यक करों की कटौती करने के उपरांत भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा।
10. निविदा की शर्तो के अनुरूप संस्था के साथ एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में ही अवधि विस्तार किया जायेगा। अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य संस्था से कार्य कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
11. कार्य दिशा निर्गत होने के दो दिनों के अन्दर कार्य प्रारम्भ नही करने की स्थिति में संस्था को काली सूची में डालते हुए कानूनी कर्रवाई के साथ साथ अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।